प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. पूर्व से पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार नगर सेवा के कार्यपालक पदाधिकारियों के लिए नगर निकायों का कलस्टर बनाया जाय और कलस्टर क्षेत्र के अंदर निकायों में पदस्थापित नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग हेतु इन्हें Tag किया जाय ताकि नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों को समय–समय पर कार्य निष्पादन के बारे में इनसे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

2. कई पर्यवक्षीय संवर्ग के पदाधिकारियों को विभाग अंतर्गत नगरपालिका प्रशासन (निदेशालय) में पदस्थापित किया जा रहा है। इन्हें योजनाओं के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु प्रमंडलवार कार्य आवंटित करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही इन पदाधिकारियों में से प्रत्येक को विभाग के वरीय पदाधिकारियों के अधीन उनके मार्गनिर्देश में कार्य करने हेतु संलग्न किया जाय और विभाग में इनके बैठने हेतु जगह चिन्हित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

3. पटना मेट्रो रेल निगम के कर्मियों के पद सृजन की कार्रवाई की जाय तथा पटना मेट्रो रेल निगम बोर्ड की प्रथम बैठक हेतु एजेंडा तैयार किया जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय दयाल, वि०स०)**

4. नगर निकायों में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रावधान इनके सेवा नियमावली के गठन में की जाय और एक सप्ताह के अंदर नियमावली प्रारूप तैयार कर संचिका में उपस्थापित किया जाय ताकि कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई की जा सके। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

5. TCPO के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव के दल को 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। आज की बैठक में इस दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस सप्ताह में शुक्रवार (दिनांक 18.01.2019) तक प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

   (अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०/श्री जय प्रकाश मंडल, वि०स०)

6. आरा, कटिहार एवं मधेपुरा के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के डी०पी०आर० में संशोधन हेतु बुडको को भेजा गया है, लेकिन बुडको द्वारा तदनुसार डी०पी०आर० में संशोधन कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस हेतु बुडको के स्तर पर वे स्वयं समन्वय करेंगे। **(अनुपालन :– श्री ओम प्रकाश सिंह, अधी०अभि०)**

7. बोधगया स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना (अम्बा नाला) के डी०पी०आर० पर मंतव्य उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मार पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मार पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

8. AMRUT योजना के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि योजना के कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र तैयार किया जाय और नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाय।

   (अनुपालन :– श्री अनिल कुमार मिश्रा, का०अभि०)

9. संबंधित सभी योजनाओं, जिसके कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU गठित है, उनके नोडल पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का साप्ताहिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु ई–मेल के माध्यम से भेजा जाय।

(अनुपालन :– संबंधित योजनाओं के नोडल पदा०)

10. संबंधित योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट/एजेंसी के भुगतान हेतु योजनाओं के प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा इनके द्वारा संपादित कार्यों के evaluation एवं deliverable के लिए प्रपत्र तैयार किया जाय और इसके evaluation हेतु Evaluation Committee बनाया जाय। Evaluation Committee द्वारा कंसल्टेंट/एजेंसी के कार्यों के evaluation एवं अनुशंसा के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी।

(अनुपालन :– संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदा०)

11. विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति आदि से संबंधित प्रश्नों की निदेशक, नगरपालका प्रशासन के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अवलोकन हेतु नियमित रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

12. सभी नगर निगम शहरों में Stack Parking, Multilevel Paking एवं foot overbridge के निर्माण हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–2)

13. NULM योजनांतर्गत अब Multilevel Vending Zone के निर्माण का प्रावधान हो गया है। तदनुसार इस हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–4)

14. बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित कई मामलों में माननीय न्यायालय में वाद दायर है, जिससे संबंधित कई मामले विभाग स्तर पर अथवा बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्तर पर लंबित है। इन मामलों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण कर निष्पादन कराने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/1/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 144 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 16/01/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/2019

प्रधान सचिव